न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 215/2024 निर्णय दिनांक:17.02.2025
ऑनलाईन नम्बर 2024/445

नरपतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कितारार बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. बिरमानन्द पुत्र रामबक्स जाति ब्राह्मण निवासी कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

3. उम्मेदकंवर पत्नी मालसिंह जाति राजपूत निवासी कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. शाखा प्रबन्धक जरिये पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिग्गा (श्रीडूंगरगढ़)

—गौण अप्रार्थीगण—

उपस्थिति:—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 गांव कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के निवासीगण हैं। गौणअप्रार्थी संख्या 3 के पति मालसिंह काफी वर्षो पूर्व बिना बताये गांव छोड़कर कहीं चला गया, जो आजतक वापिस नही लौटा। जिस पर गौणअप्रार्थी संख्या 3 द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष एक दावा संख्या 31/14 अनुवानी उम्मेदकंवर बनाम मोहनकंवर आदि प्रस्तुत किया। उक्त दावा में मालसिंह की सिविल डेथ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2023 को घोषित की गई। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में खातेदार मालसिंह के स्थान पर उसकी पत्नी उम्मेदकंवर को गौणअप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया हैं। जिससे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। प्रार्थी व गौणअप्रार्थी संख्या 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 226 तादादी 9.74 हैक्टेयर रोही मौजा कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी का व गौणअप्रार्थी संख्या 3 का 1/2—1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। खसरा नम्बर 226 मौका पर एकल है, जिसमें ट्युब वैल बना है तथा सिंचित फसल काश्त की जा रही हैं। प्रार्थी का उक्त खेत पुश्तैनी है, प्रार्थी वादगत खेत को अपने पिता के जीवनकाल से कब्जा, काश्त उपयोग व

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपभोग में लेता चला आ रहा हैं । प्रार्थी ने उक्त खेत पर गौणअप्रार्थी संख्या 4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिग्गा के यहां से केसीसी ऋण ले रखा हैं । गौणअप्रार्थी संख्या 4 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं । प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी खेत के आस पास इस प्रकार से है:–

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
ख.नं. 222	ख.नं. 235	ख.नं. 227, 232	ख.नं. 224, 225

प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 226 के ठीक पश्चिम में ख.नं. 224 व 225 स्थित हैं। खसरा नम्बर 224 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम संयुक्त खातेदारी का खेत था। जिसका विभाजन होने पर खसरा नम्बर 224 के नये खसरा नम्बर 423/224 तादादी 4.6550 हैक्टेयर कायम हुये। प्रार्थी ने इस वर्ष फसल बिक्री के लिए राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवायी तब प्रार्थी को ज्ञान हुआ कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 226 में उतरी तरफ खेत खसरा नम्बर 423/224 तरमीम कर दिया। जबकि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 226 उत्तर में खेत खसरा नम्बर 222 की सीमा लगती हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश विगत कुछ वर्ष पूर्व प्रार्थी के खेत के उतर में करीब आधा हिस्सा जहां पर प्रार्थी का ट्यूब वैल बना हुआ हैं, उक्त रकबा पर खेत खसरा नम्बर 423/224 गलत रूप से तरमीम कर दिया। प्रार्थी का गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होते ही अप्रार्थीगण को दिनांक 24.10.2024 को औलमा दिया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि राजस्व नक्शा अक्स में उक्त तरमीम भूलवंश हुई है, परन्तु उक्त शुद्धी न्यायालय से करवानी पड़ेगी । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 226 का नक्शा अक्स पूर्वस्थिति अनुसार शुद्ध करने से मना कर दिया। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र नक्शा दुरूस्ती के अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादगत खेत का नक्शा मौका स्थिति के विपरीत तरमीम किया गया हैं जो दुरूस्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी राजस्व नक्शा को मौका पर कब्जा काश्त व पूर्वस्थिति नक्शा के अनुसार दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थी के खेत की उतरी तरफ कभी भी कोई कब्जा काश्त नही है। क्योंकि मौका पर कब्जा, काश्त प्रार्थी का ही चला आ रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा, काश्त प्रार्थी के खेत के ठीक पश्चिमी तरफ चला आ रहा हैं। वादगत खेतों की भूमि रोही ग्राम कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से प्रार्थना पत्र मान्य् न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अप्रार्थीगण की इन्कारी की दिनांक से हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 226 तादादी 9.7400 हैक्टेयर वाकेरोही कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उतरी तरफ गलत रूप से तरंमीम किये गये खेत खसरा नम्बर 423/224 को डिलिट कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 226 के नक्शा अक्स को दुरूस्त किया जाकर पूर्वस्थिति अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर ... जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या ... उपस्थित होकर ईकबाल जवाब पेश किया। स्टेट की ओर से ... अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अनुपस्थित रहनें के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट एवं अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होनें व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 226 तादादी 9.7400 हैक्टेयर वाकेरोही कितासर विदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उतरी तरफ गलत रूप से तरंमीम किये गये खेत खसरा नम्बर 423/224 को डिलिट कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 226 के नक्शा अक्स को पैरोकारराज द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:08:11 IST
Reason: SelfAttested